संख्या : 840 /I/2017-03/09/2015

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त स्थानीय निकाय/निगम/अर्द्धशासकीय कार्यालय, उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017

विषय :– प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निकायों, निगमों एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52) की धारा–18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रदेश के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निकायों, निगमों एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में LED बल्ब, LED ट्यूबलाईट, LED स्ट्रीट लाईट एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य कियें जाते हैं।

उक्त के अतिरिक्त समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगर निकायों, निगमों एवं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में इस आदेश के जारी होने की तिथि के उपरान्त इनकेन्डेन्सेट लैम्प के उपयोग तथा नये सोडियम वाष्प लैम्प और ऐसे लैम्प जिनकी दक्षता सोडियम वाष्प लैम्प से कम हो, की खरीद को भी प्रतिबन्धित किया जाता है ताकि समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों में विद्युत की खपत में कमी लाई जा सके तथा राज्य सरकार पर विद्युत बिल के व्यय भार को भी कम किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जिन प्रतिष्ठानों में पूर्व से LED बल्ब एवं अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरण स्थापित नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा केवल LED आधारित ऊर्जा दक्ष उपकरणों की ही खरीद की जायेगी तथा भविष्य में खराब/क्षतिग्रस्त होने वाले उपकरणों को समयबद्ध रूप से अपने वित्तीय संसाधनों से यथा आवश्यक ऊर्जा दक्ष उपकरणों से परिवर्तित कराया जायेगा ताकि ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग से विद्युत की खपत में कमी लायी जा सके।

अतः उपरोक्तानुसार आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या– 840 (2)/I/2017-03/09/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उरेडा/प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 को इस आशय से प्रेषित कि प्रदेश के समस्त विभागों में इन ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के अनुपालन हेतु समस्त विभागों को उत्तदायित्व दिये जाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने का दायित्व संयुक्त रूप से उरेडा एवं उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 का होगा। अतः तद्नुसार प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव